20रु. Rs.20
बीस रुपये TWENTY RUPEES

(19)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 2018 अपील–3944/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

श्री पी.के. तिवारी एड. द्वारा आज 21-6-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 5-7-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-6-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

21-6-2018

हिरिया पत्नी मूलचन्द्र अहिरवार निवासी–ग्राम देरी तह. खरगापुर, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

P.K. Tiwari Adv

--- अपीलांट

बनाम

लम्पू तनय भग्गू साहू निवासी–ग्राम देरी, तहसील खरगापुर, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

--- रेस्पोडेंट

अपील आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 44(2) मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 15–05–2018 द्वारा पारित अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र.क्र. 700 बी 121/15–16 अपील

माननीय न्यायालय

अपीलांट की ओर से अपील निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के तथ्य :–

1– यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम देरी हल्का देरी तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़ की भूमि सर्वे क्रमांक 237/2 का पट्टा अपीलांट को सक्षम अधिकारी के प्र.क्र. 12अ–19/99–2000 के द्वारा दिनांक 27–06–2000 को प्रदान किया गया था तथा मौके पर कब्जा प्रदान कर दिनांक 24–10–2002 को नक्शा तरमीम किया गया तब से राजस्व अभिलेख में अपीलांट का नाम आज दिनांक तक चला आ रहा है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

2

प्रकरण क्रमांक अपील–3944/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

हिरिया विरूद्ध लम्पू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18–12–18	प्रकरण प्रस्तुत । प्रकरण में अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री पी.के. तिवारी उपस्थित । प्रत्यर्थी क्र. 1 की ओर अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित एवं प्रत्यर्थी क्र. 2 शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने। 2/ उभय पक्ष द्वारा कायमी प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र0क्र0 700/बी–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 15.5.2018 की सत्यापित प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन जिससे स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित ग्राम देरी की शासकीय भमियों को आवश्यक कार्यवाही करते हुये काबिलकाश्त की भूमियों का बंटन दिनांक 27.06.2000 को किया गया। इस बंटन में अपीलार्थी हिरिया बाई को खसरा क्र. 237/2 रकबा 1.690 है. बंटन किया गया था और इसी बंटन के आधार पर अपीलार्थी हिरिया ने संहिता की धारा 107/5 के तहत ग्राम देरी की भूमि खसरा नंबर 237/2 रकबा 1.690 हैक्टेयर की तरमीम की दुरूस्ती किये जाने हेतु अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष आवेदन पेश किया । न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा प्रत्यर्थी लम्पू को सूचना पत्र जारी किया तथा दिनांक 13.10.15 को प्रत्यर्थी की अनुपस्थित में उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दिनांक 09.06.2016 के आदेश से अपीलार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार कर	

18/12/18

खसरा क्र. 237/6 के स्थान पर खसरा क्र. 237/2 दर्ज कर नक्शा सुधार का आदेश पारित किया । इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई ।

3/ प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 09.06.2016 को प्रश्नाधीन भूमि किस के नाम दर्ज थी।

4/ अपर आयुक्त सागर द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 10.07.07 में खसरा क्रमांक 237/2 का बंटन निरस्त कर वादग्रस्त भूमि को मध्यप्रदेश शासन बंजर भूमि के रूप में शासकीय दर्ज किये जाने का लेख है, जिससे स्पष्ट है कि दिनांक 09.06.2016 को भूमि शासकीय थी। इसी कारण अपर आयुक्त सागर ने प्रथम दृष्टया अपर कलेक्टर के आदेश को विधि के विरूद्ध मानकर निरस्त किया है तथा दिनांक 15.05.2018 को प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया है कि अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 09.06.16 के पूर्व की स्थिति में तत्काल अभिलेख सुधार करायें। अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2018 में कोई अनियमितता प्रकट नहीं होती।

5/ इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 06.09.2017 का प्रश्न है तो अपीलार्थी अपना पक्ष समर्थन हेतु सक्षम न्यायालय में आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त सागर के आदेश दिनांक 15.05.2018 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता न होने से अपील अस्वीकार की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड।

(आर.के. जैन) 18.12.18
सदस्य